आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
23/05/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0ए0आर0 पुनरीक्षण 22/2016** **रामदास उराँव बनाम् समसुद्दीन मियां व अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील–114–R15/2012-13 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। मूलतः एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–30/2011–12 में खाता नम्बर–80, प्लॉट संख्या–647, रकबा–0.25 एकड़ तथा प्लॉट नम्बर–710, रकबा–1.27 एकड़, ग्राम–ननहूडोह टोली, अंचल–चान्हों के भूमि को वापसी हेतु आदेशित किया गया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को रद्द करते हुये प्रश्नगत् भूमि को वापसी योग्य नहीं बताया गया था, जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। अपीलार्थियों का दावा है कि प्रश्नगत् भूमि उनकी पूर्वजों के नाम से दर्ज है, तथा विपक्षियों के द्वारा कथित इस्तिफानामा एवं बंदोबस्ती का दावा करते हुये उक्त भूमि पर दखल किया गया है। भूमि वापसी वाद में भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया था, किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा वर्ष–1969 में किये गये बिक्री केवाला के आधार पर प्रश्नगत् वाद को कालबाधित भी बताया गया है। उक्त भूमि को कभी भी इस्तीफा नहीं किया गया था, जिस कारण उसकी बिक्री एवं अन्य कार्रवाई अनुचित है। विपक्षियों की तरफ से कहा गया कि प्रश्नगत् भूमि खेवट क्रमांक–09 में चमार साहू एवं अन्य के नाम से बकास्त दर्ज है एवं ब–कब्जे/ब–हिस्सा, अधबंटाईदार के रूप में सोमाई उरांव, फेकु उरांव एवं भोलू उरांव के नाम पर दर्ज है। इस प्रकार यह भूमि वकास्त मालिक भूमि है, जो अधबंटाई के रूप में आदिवासी रैयतों को दी गयी थी। उक्त भूमि पर भूमि वापसी का दावा नहीं किया जा सकता।	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	दिनांक–10.02.1943 को इन अधबंटाईदारों द्वारा प्रश्नगत् भूमि जमीन्दार को इस्तीफा कर दी गयी, जिसके पश्चात् जमीन्दार द्वारा उक्त भूमि वर्ष–1969 एवं 1971 में अब्दुल खान को निबंधित केवाला से बिक्री की गयी। विगत् सर्वे में प्रश्नगत् भूमि का बण्डा पर्चा अब्दुल खान के नाम से ही दर्ज है, जिसे उनकी दखल की पुष्टि होती है। भूमि वापसी का दावा मात्र रैयती भूमि पर किया जा सकता है तथा आवेदकों के पास प्रश्नगत् भूमि के रैयती होने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः उचित है। उभयपक्षों की सुनवाई तथा अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मूल भूमि वापसी वाद में विपक्षियों के द्वारा दस्तावेज एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया। प्रश्नगत् भूमि खतियान में बकास्त मालिक दर्ज है तथा आवेदकों के पूर्वजों के नाम अधबंटाईदार के रूप में दर्ज है। अधबंटाईदार को रैयती अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उक्त भूमि का हस्तांतरण निबंधित केवाला से वर्ष–1969 में किया गया है, जबकि भूमि वापसी का दावा वर्ष–2011 में, 42 वर्षों के पश्चात् दायर किया गया। इस प्रकार भूमि वापसी का यह दावा कालबाधित भी माना जायेगा। बकास्त मालिक भूमि पर आवेदकों को रैयती अधिकार किस प्रकार से प्राप्त है, इस बिन्दु पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त भूमि पर अपने पूर्वजों के अधबंटाईदार होने के संबधं में आवेदकों के द्वारा तथ्य को छुपाया गया है, जो कि खतियान में अंकित है। अपीलीय न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर विचार करते हुये अंतिम आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.03 15:42:10 +05:30
Location: 192.168.1.40